

## विषय-सूची

● प्रमुख धाराएँ .....	3-8
● भाग-1 सामान्य.....	9-10
● भाग-2 धारा 1 से 25.....	11-19
— अध्याय 1 : प्रारम्भिक (धारा 1 से 5)	
— अध्याय 2 : दण्ड न्यायालयों एवं कार्यालयों का गठन (धारा 6 से 25)	
● भाग-3 धारा 26 से 60.....	20-29
— अध्याय 3 : न्यायालयों की शक्ति (धारा 26 से 35)	
— अध्याय 4 : वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ एवं मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता (धारा 36 से 40)	
— अध्याय 5 : व्यक्तियों की गिरफ्तारी (धारा 41 से 60)	
● भाग-4 धारा 61 से 90.....	30-36
— अध्याय 6 : हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 61 से 90)	
● भाग-5 धारा 91 से 124.....	37-44
— अध्याय 7 : चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ (धारा 91 से 105)	
— अध्याय 7क : कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यक्तिकारी व्यवस्था तथा सम्पत्ति की कुर्की तथा समपहरण के लिए प्रक्रिया (धारा 105क से 105ठ)	
— अध्याय 8 : परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति (धारा 106 से 124)	
● भाग-6 धारा 125 से 128.....	45-49
— अध्याय 9 : पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश (धारा 125 से 128)	
● भाग-7 धारा 129 से 148.....	50-54
— अध्याय 10 : लोक व्यवस्था व प्रशान्ति बनाए रखना (धारा 129 से 148)	
● भाग-8 धारा 149 से 176.....	55-60
— अध्याय 11 : पुलिस का निवारक कार्य (धारा 149 से 153)	
— अध्याय 12 : पुलिस को सूचना और उसकी अन्वेषण की शक्तियाँ (धारा 154 से 176)	
● भाग-9 धारा 177 से 199.....	61-67
— अध्याय 13 : जाँचों और विचारणों में दण्ड न्यायालय की अधिकारिता (धारा 177 से 189)	
— अध्याय 14 : कार्यवाहियाँ शुरू करने के लिए आपेक्षित शर्तें (धारा 190 से 199)	
● भाग-10 धारा 200 से 210.....	68-71
— अध्याय 15 : मजिस्ट्रेटों से परिवाद (धारा 200 से 203)	
— अध्याय 16 : मजिस्ट्रेटों के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना (धारा 204 से 210)	

● भाग-11 धारा 211 से 224.....	72-75
— अध्याय 17 : आरोप (धारा 211 से 224)	
● भाग-12 धारा 225 से 265.....	76-83
— अध्याय 18 : सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण (धारा 225 से 237)	
— अध्याय 19 : मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट मामलों का विचारण (धारा 238 से 250)	
— अध्याय 20 : मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों का विचारण (धारा 251 से 259)	
— अध्याय 21 : संक्षिप्त विचारण (धारा 260 से 265)	
● भाग-13 धारा 266 से 299.....	84-88
— अध्याय 22 : कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी (धारा 266 से 271)	
— अध्याय 23 : जाँच एवं विचारणों में साक्ष्य (धारा 272 से 299)	
● भाग-14 धारा 300 से 327.....	89-94
— अध्याय 24 : जाँच तथा विचारण के बारे में साधारण उपबन्ध (धारा 300 327)	
● भाग-15 धारा 328 से 352.....	95-98
— अध्याय 25 : विकृतचित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध (धारा 328 से 339)	
— अध्याय 26 : न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबन्ध (धारा 340 से 352)	
● भाग-16 धारा 353 से 371.....	99-102
— अध्याय 27 : निर्णय (धारा 353 से 365)	
— अध्याय 28 : मृत्यु दण्डादेशों का पुष्टि के लिए भेजा जाना (धारा 366 से 371)	
● भाग-17 धारा 372 से 405.....	103-107
— अध्याय 29 : अपीलें (धारा 372 से 394)	
— अध्याय 30 : निर्देश व पुनरीक्षण (धारा 395 से 405)	
● भाग-18 धारा 406 से 435.....	108-112
— अध्याय 31 : आपराधिक मामलों का अन्तरण (धारा 406 से 412)	
— अध्याय 32 : दण्डादेशों का निष्पादन, निलम्बन, परिहार व लघुकरण (धारा 413 से 435)	
● भाग-19 धारा 436 से 459.....	113-117
— अध्याय 33 : जमानत व बन्धपत्रों के बारे में उपबन्ध (धारा 436 से 450)	
— अध्याय 34 : सम्पत्ति का व्ययन (धारा 451 से 459)	
● भाग-20 धारा 460 से 484.....	118-120
— अध्याय 35 : अनियमित कार्यवाहियाँ (धारा 460 से 466)	
— अध्याय 36 : कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा (धारा 467 से 472)	
— अध्याय 37 : प्रकीर्ण (धारा 473 से 484)	

---